

राजस्थान सरकार  
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक: एफ 1(4) आ.प्र.एवं सहा/सामान्य/2017/8424-44 जयपुर, दिनांक ०१.८.२०१७

अधिसूचना

जिला कलक्टरों से प्राप्त खरीफ फसल 2017 (सम्वत् 2074) में बाढ़ से खराबा होने की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सर्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एकट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 3 व 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार एतद द्वारा राज्य के 4 जिलों के आगे अंकित संख्या के ग्रामों को, जिनका नाम संलग्न सूची में अंकित है, अभावग्रस्त घोषित करती है एवं निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 से 10 तक के प्रावधान ऐसे प्रभावित गांवों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 31 अगस्त, 2017 तक लागू रहेंगे:—

क्र.सं.	नाम जिला	प्रस्तावित प्रभावित गाँवों की संख्या
1.	पाली	621
2.	सिरोही	348
3.	जालौर	260
4.	बाढ़मेर	61
कुल योग:—		1290

राज्यपाल की आझा से,

  
 १८/१८/१७  
 (हेमन्त कुमार गेरा)  
 शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री
2. विशिष्ट सहायक, आ.प्र. एवं सहायता मंत्री
3. विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, सम्बन्धित जिला प्रभारी मन्त्री राज. जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव
5. निजी सचिव, जल संसाधन/ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित विभाग, राज., जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज., जयपुर।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
10. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिव, राज., जयपुर।
11. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एन.डी.एम. डिवीजन) गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
12. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (डी.एम. डिवीजन) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली।
13. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, नई दिल्ली।
14. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
15. संभागीय आयुक्त, जोधपुर, राज.।
16. जिला कलेक्टर, बाड़मेर, पाली, जालोर, सिरोही, राजस्थान।
17. निदेशक जनसम्पर्क विभाग, राज., जयपुर।
18. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
19. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के समस्त अधिकारीगण।
20. रक्षित पत्रावली / सांख्यिकी शाखा, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग।
21. अंधीक्षण, केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है। कृपया इसकी 50 प्रतियाँ इस विभाग को भिजवाये।

  
उप शासन सचिव